न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

(1) पत्रावली संख्याः– 98 / 2017 / अपील
भींवाराम पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट निवासी बासनी तहसील लक्ष्मणगढ़ ज़िला सीकर
अपीलान्ट

बनाम

1 नायब तहसीलदार महोदय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
2 पटवारी हल्का सिंगोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
रेस्पोडेन्टस

(2) पत्रावली संख्याः– 99 / 2017 / अपील
सुभाष पुत्र मोहन जाति जाट निवासी बासनी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
अपीलान्ट

बनाम

1 नायब तहसीलदार महोदय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
2 पटवारी हल्का सिंगोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
रेस्पोडेन्टस

(3) पत्रावली संख्याः– 100 / 2017 / अपील
हनुमानसिंह पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी बासनी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
अपीलान्ट

बनाम

1 नायब तहसीलदार महोदय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
2 पटवारी हल्का सिंगोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
रेस्पोडेन्टस

(4) पत्रावली संख्याः– 101 / 2017 / अपील
मोहनलाल पुत्र सुखदेवाराम जाति जाट निवासी बासनी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
अपीलान्ट

बनाम

1 नायब तहसीलदार महोदय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
2 पटवारी हल्का सिंगोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 03.07.2017 व 16.06.2017
द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

वकील अपीलांट श्री फूलचंद थालौड़

निर्णय

दिनांकः–07.11.2017

उपरोक्त चारों अपीलों में पूर्णतः समानता होने के कारण इन्हे एक ही निर्णय से निर्णित किया जा रहा है।

उपरोक्त अपीलों का संक्षेप में सार यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा एक सर्वथा झूंठी व मिथ्या रिपोर्ट तैयार कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष इस आशय की पेश की गयी कि अपीलांटान के द्वारा ग्राम बासनी पटवार हल्का सिंगोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़

जिला सीकर स्थित भूमि खसरा नम्बर 146 रकबा 5.75 है0 व खसरा नम्बर 139 रकबा 0.25 है0 किस्म चारागाह में कुछ हिस्से पर पक्के मकान बनाकर चारागाह भूमि की खातेदारी पर कब्जा करके अतिक्रमण कर रखा है। इस रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के पास नोटिस भेजा गया। जिसका जबाब अपीलांट ने प्रस्तुत करते हुए अभिकथित किया कि जिस खसरा नम्बर पर मकान बना रखे है वो पैतृक कृषि भूमि चारागाह भूमि के सटकर है। अगर विभाग द्वारा विधिवत रूप से मौके पर नपती कर निकलती है तो हमे उक्त भूमि चिन्हित कर दो हम निकाल देंगे एवं हमने उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। बल्कि प्रार्थी ने अपने हक हिस्से की भूमि पर मकान कदीम से बनाकर आवास निवास कर रहे हैं। परन्तु पटवारी हल्का सिंगोदड़ा द्वारा उक्त चारागाह भूमि का बिना सीमाज्ञान किए राजनैतिक दुर्भावना से गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसे न तो अपनी दैनिक डायरी में अंकित किया, न ही कोई सीमाज्ञान किया गया। तत्पश्चात तहसीलदार महोदय लक्ष्मणगढ़ के द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुये अपना निर्णय पारित कर बेदखल किये जाने के आदेश पारित कर दिये।

योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किए बिना ही निर्णय पारित कर अपीलांट को अतिक्रमी मानने में गंभीर कानूनी भूल की है। क्योंकि अपीलांट ग्राम बासनी की तन में स्थित भूमि का रेकार्डेड काश्तकार है। पटवारी हल्का सिंगोदड़ा द्वारा तैयार प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई तारीख अंकित नहीं की है। भू अभिलेख बलारां व पटवारी हल्का सिंगोदड़ा द्वारा बिना मौका जांच किये ही तथाकथित झूंठी मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है जबकि पटवारी हल्का के पास उपलब्ध नक्शा के तहत जांच करते तो अपीलांट का उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ पाया जाता। अपीलांट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जवाब पेश किये जाने के पश्चात कोई आगामी तारीख पेशी नहीं दी गयी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय लक्ष्मणगढ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2017 व 16.06.2017 को निरस्त किए जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा उपरोक्त चारों अपीलों में से क्रम संख्या 2 ता 4 पर दर्ज अपीलों में निर्णय दिनांक 16.06.2017 को पारित किये गये है एवं क्रम संख्या 1 पर दर्ज अपील में पत्रावली पर उपलब्ध फर्द अहकाम में दिनांक 16.06.2017 को पीठासीन अधिकारी का अवकाश पर होने बाबत लिखा गया है और निर्णय दिनांक 03.07.2017 को पारित किया गया है। इस प्रकार दिनांक 16.06.2017 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने के उपरांत क्रम संख्या 2 ता 4 पर दर्ज अपीलों में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय गलत रूप से कर दिया गया है। अधिवक्ता अपीलांट की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तलब रिकार्ड पत्रावली अनुवानी सरकार बनाम सुभाष, सरकार बनाम हनुमानसिंह व सरकार बनाम मोहनलाल में निर्णय दिनांक 16.06.2017 को पारित कर अपीलांटान को बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये है, एवं पत्रावली अनुवानी सरकार बनाम भींवाराम में दिनांक 16.06.2017 की फर्द अहकाम में पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने बाबत लिखा गया एवं निर्णय दिनांक 03.07.2017 को पारित किया गया है। इस प्रकार एक ही पीठासीन अधिकारी द्वारा एक ही दिनांक को अवकाश पर होने व ड्यूटी पर होकर निर्णय पारित करने जैसे निर्णय करना न्याय संगत नहीं है। इस कारण उपरोक्त चारों अपीलो मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2017 व 16.06.2017 को खारिज किया जाता है एवं पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि मौके पर प्रार्थीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया जाकर अगर बेदखल योग्य हो तो नियमानुसार कार्यवाही कर निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर